# [TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) of dated the \_\_\_\_\_, 2012]

## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

#### Notification

New Delhi, the 17 April 2012

G.S.R. (E) :- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 641 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following further alterations in the Schedule XIV of the said Act, namely:-

In Schedule XIV to the Companies Act, 1956, after serial number IV relating to Ships and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

### "V- Intangible Assets

1. Intangible Assets (Toll Road) created under Build, Operate and Transfer, Build, Own, Operate and Transfer or any other form of Public Private Partnership Route.

Amortization Rate	-		rtization Amount × 100 of Intangible Asset (A)
Amortization Amount	-	Actu	al Revenue for the year (B)
Cost of Intangible Asset	Projected Revenue from Intangible Asset (till the end of the concession period) (C)		
2. Meaning of particular	s are as	follo	ws:-
Cost of Intangible Asset	(A)	:	Cost incurred by the Company in accordance with the Accounting Standards.
Actual Revenue for the ye	ear (B)	-	Actual Revenue (Toll Charges) received during the accounting year.
Projected Revenue from Intangible Asset (C)		•	Total Projected Revenue from the Intangible Asset as provided to the Project Lender at the time of financial closure/agreement.

The amortization amount or rate should ensure that the whole of the cost of the intangible asset is amortized over the concession period.

Total Revenue shall be reviewed at the end of each financial year and the projected revenue shall be adjusted to reflect any changes in the estimate which will lead to the actual collection at the end of the concession period.

3. For Example:-		
Cost of creation of Intangible Assets	:	Rs. 500/- Crores
Total period of Agreement	:	20 Years
Time use for creation of Intangible Assets	:	02 Years
Intangible Assets to be amortized in	•	18 Years

Let us assume that the Total revenue to be generated out of Intangible Assets over the Period would be Rs. 600 Crores, in the following manner:-

Year No.	Revenue (In Rs. Crores)	Remarks	
Year 1	5	Actual	
Year 2	7.5	Estimate*	
Year 3	10	Estimate*	
Year 4	12.5	Estimate*	
Year 5	17.5	Estimate*	
Year 6	20	Estimate*	
Year 7	23	Estimate*	
Year 8	27	Estimate*	
Year 9	31	Estimate*	
Year 10	34	Estimate*	
Year 11	38	Estimate*	
Year 12	41	Estimate*	
Year 13	46	Estimate*	
Year 14	50	Estimate*	
Year 15	53	Estimate*	
Year 16	57	Estimate*	
Year 17	60	Estimate*	
Year 18	67.5	Estimate*	
Total	600		

'\*' will be actual at the end of financial year.

Based on this the charge for first year would be Rs. 4.16 Crore (approximately) (i.e. Rs. 5/Rs. 600 X Rs. 500 Crores) which would be charged to profit and loss and 0.83% (i.e. Rs. 4.16 Crore/Rs. 500 Crore X 100) is the amortization rate for the first year."

[F. №.17/292/2011 CL-V]

Renuka Kumar

Joint Secretary to the Government of India

Note: - The Schedule XIV to the Companies Act, 1956 was subsequently amended by the following notifications, namely:--

(i) G.S.R.416(E), dated the 14<sup>th</sup> May, 1993;

(ii) G.S.R.416(E), dated the 16<sup>th</sup> December, 1993;

(iii) G.S.R.416(E), dated the 4<sup>th</sup> November, 1994;

(iv) G.S.R.416(E), dated the1st March, 1995;

(v) G.S.R.416(E), dated the 18<sup>th</sup> August, 1998;

(vi) G.S.R.416(E), dated the 14<sup>th</sup> December, 2011.

\*\*\*\*

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) तारीख-----2012 को प्रकाशनार्थ)

# भारत सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख-17 378 ल 2012

सा.का.नि. ------ (अ): केन्द्रीय सरकार कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त अधिनयम की अनुसूची XIV में अतिरिक्त परिवर्तन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

कंपनी अधिनियम, 1956 अनुसूची XIV में क्रम सं. IV जो जहाजों और उससे संबंधित प्रविष्टियां हैं, के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात:-

"v- अमूर्त अस्तियां

1.अमूर्त अस्तियां (टोल रोड) जो निर्माण, प्रचालन और अंतरण, निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण के अधीन या लोक निजी भागीदारी के किसी अन्य मार्ग से सुजित की गई हैं।

क्रमिक अपाकरण दर	=	क्रमिक अपाकरण राशि x100
		अमूर्त अस्ति (ए) की लागत
क्रमिक अपाकरण राशि	Ξ	
		वर्ष (बी) का कुल राजस्व
अमूर्त अस्ति (ए) की लागत x		
		अमूर्त अस्ति से प्रेक्षेपित राजस्व
		(रियायती अवधि के अंत तक) (सी)

2. विशिष्टियों के अर्थ निम्न हैं:-

अमूर्त अस्ति (ए) की लागत वर्ष (बी) के लिए कुल राजस्व	=	लेखा मानकों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन की गई लागत लेखा वर्ष के दौरान प्राप्त वास्तविक राजस्व (टोल प्रभार)
अमूर्त अस्ति (सी) से प्रेक्षेपित राजरन्व	=	वित्तीय समापन/करार के समय परियोजना प्रदाता को प्रदान किए गए अमूर्त अस्ति से कुल प्रेक्षेपित राजरूव

क्रमिक अपाकरण की राशि या दर यह अभिनिश्चित करेगी कि संपूर्ण अमूर्त अस्ति की लागत का अपाकरण रियायती अवधि पर हो। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल राजस्व पुनरीक्षित होगा और प्रेक्षेपित राजस्व प्राक्कलन में किन्ही परिवर्तनों के उपदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाएगा जो रियायती अवधि के अंत में वास्तविक राजस्व संग्रहण कर सकेगा।

3. उदाहरण के लिए		
अमूर्त अस्तियों के सृजन की लागत	:	500 करोड़ रू0
करार की कुल अवधि	:	20 वर्ष
अमूर्त अस्तियों के सृजन में प्रयुक्त समय	:	02 वर्ष
अमूर्त अस्तियों के क्रमिक अपाकरण काल	:	18 वर्ष

तत्काल यह धारित किया जाए कि निम्नलिखित प्रकार से अमूर्त अस्तियों से समय घर कुल उल्पन्न राजस्व 600 करोड़ रूO होगा।

वर्ष सं०	राजस्व (रूO करोड़ में)	टिप्पणियां	
वर्ष 1	5	बास्तविक	
दार्ष 2	7.5	प्राक्कलन*	
वर्ष 3	10	प्राय-कलन *	
दार्ष 4	1.2.5	प्राक्कलन*	
वर्ष 5	17.5	प्राक्लन*	
वर्ष 6	20	দ্মাঝ-দচ পলা *	
वर्ष 7	23	प्राथन्त*	
वर्ष ४	27	प्राक्कलन*	
वर्ष 9	31	प्राक्कलन	
वर्ष 10	34	प्राक्कलन *	
वर्ष 11	38	प्राप्तकलन *	
वर्ष 12	41	प्राक्कलन	
वर्षे 13	45	प्राक्कलन्	
वार्ष 14	50	ग्राव्स्कलेन *	
वर्ष 15	53	प्राक्कलन *	
वार्ष 16	57	प्राक्षकेलेल *	
वार्ष 17	60	प्राक्कलन*	
वर्ष 18	67.5	णामउकलना ∗	
कुल	600		

•वित्तीय वर्ष के अंत में वास्तविक होगा।

इस पर आधारित प्रथम वर्ष के लिए प्रभार 4.16 करोड़ रूO (लगभग) अर्थात 5 रूO/6OO रूO×5OO करोड़ रूO) जो लाभ और हानि के लिए प्रभारित होगी और O.83% (अर्थात 4.16 करोड़ रूO/5OO करोड़ रूO ×100) प्रथम वर्ष के लिए क्रमिक अपाकरण की दर होगी।

(फा.सं. 17/292/2011-सीएल-V)

्रेज़िका कुमार रेणुका कुमार संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पणः कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV को निम्नलिखित पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधित किया गया था, अर्थातः-

- सा.का.लि. 416 (अ), तारीख 14 मई, 1993;
- ॥. सा.का.लि. 416 (अ), तारीख 16 दिसंबर, 1993;
- ॥।. सा.का.नि. 416 (अ), तारीख 4 नवंबर, 1994;
- सा.का.लि. 416 (अ), तारीख 1 मार्च, 1995;
- सा.का.बि. 416 (अ), तारीख 18 अगस्त, 1998;
- √।. सा.का.नि. 416 (अ), तारीख 14 दिसंबर, 2011;

\*\*\*\*\*